रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 45 ● अंक – 8 एवं 9 ● कानपुर 1 से 15 मई 2023 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का

स्थापना दिवस कार्यक्रम धूम–धाम से सम्पन्न

प्रदेश के अनेक जनपदों में भी हुये कार्यक्रम

नहीं होने देंगे किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उत्पीड़न–डा0 इदरीसी

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का 49वां स्थापना दिवस कार्यक्रम बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय जूही कानपुर में बड़े धूम–धाम से आयेजित किया गया, कार्यक्रम अपरांह 3 बजे अपने निर्धारित समय से शुरु हुआ जो काफ़ी देर तक चला, कानपुर का मौसम खराब होने के बावजूद भी अनेक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभचिन्तकों ने अपनी उस्थिति दर्ज करायी।

कार्यक्रम मैटी हॉल में आयेजित हुआ जिसमें मुख्य आकर्षण डा0 काउण्ट सीज़र मैटी थे, परामपरागत ढंग से सर्वप्रथम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक महात्मा डा0 काउण्ट सीज़र मैटी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ, माल्यार्पण के पश्चात बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने बोर्ड के 49वें स्थापना दिवस पर आये हुये सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुये कहा कि यह अपने आप में एक अदभुत चमत्कार ही कहलायेगा कि एक प्रावेट संस्थान जिसे कोई सरकारी सहायता तक नहीं मिलती हो निर्बाध रुप से विधिवत अपना कार्य भारत सरकार व राज्य सरकार के आदेशों के अनुरुप अपना कार्य कर रहा है।

वित्त नियंत्रक श्री ज़फ़र इदरीसी ने कहा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका संख्या 4015/96 में केन्द्र सहित सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे, इसमें यह भी निर्देशित किया गया था कि Respondents 10 to 16 and the like institutes shall not award any degree for the Courses conducted by them. बोर्ड द्वारा इसका अनुपालन करते हुए दिनांक 28 नवम्बर, 1998 को अपने M.B.E.H.व M.D.E.H. डिग्री पाठ्यक्रमों को डिपलोमा में परिवर्तित कर दिया था, जबकि सरकारों (राज्य एवं केन्द्र) द्वारा कानून बनाने में कोई रूचि नहीं दिखायी गयी एक अन्य वाद में केन्द्र सरकार द्वारा अपील की गयी जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनहित याचिका में दिये गये आदेश को गम्भीरता से लिया, केन्द्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसमें माननीय न्यायालय के कानून बनाने के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मान्यता हेतु लाम्बित पड़े हुए प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए समितिं की संतुतियों को स्वीकार करते हुए 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया गया कि गैर मान्यता प्राप्त पद्धतियों को बैचलर व मास्टर डिग्री/ डिपलोमा देने से रोका जाये तथा डा0 शब्द का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये।

यह भी निर्देश दिया गया कि केन्द्र सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये इस आदेश का सम्मान करते हुए बोर्ड ने अपने डिपलोमा पाठ्यक्रमों को सार्टिफ़िकेट में परिवर्तित तथा चिकित्सकों को निर्देश दिया कि वह Dr. शब्द के बजाय E.H.Dr. लिखें, सरकार के इस आदेश को समाचार पत्रों ने इस प्रकार प्रकाशित किया जिससे पूरे देश में शून्यता की स्थिति पैदा हो गयी जबकि वास्तव में इस आदेश में रोक जैसी कोई स्थिति नहीं है, इसी समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री

शेष पेज 2 पर

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी उपस्थित चिकित्सकों को सम्बाधित करते हुये

48 वर्षों में हम कहाँ तक चले

इन 48 वर्षों में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपना गौरवशाली इतिहास देश एवं प्रदेश के सम्मुख रखकर प्रदर्शित किया है, समय समय पर इलेक्ट्रो होम्यापैथी की मान्यता हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपे, जिसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988 में एक जाँच समिति का गठन कर दिया जिसने प्रारम्भिक स्तर पर कुछ बिन्दु निर्धारित कर दिये जिसका आदेश भारत सरकार द्वारा 1993 में जारी किया गया, भारत सरकार के निर्देशानुसार एक बार पुनः इलेक्ट्रो होम्यापैथी की संस्थाओं ने पहले से भी अच्छा करने का प्रयास किया, अच्छा करते–करते 1998 में वह समय भी आया जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्यापैथी सहित गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिये पृथक कानून बनाने के लिये निर्देश दिये, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 1999 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसने आयुवेर्दिक, यूनानी एवं होम्यापैथी जो पूर्व में मान्यता प्राप्त की श्रेणी में थीं इसके अतिरिक्त्त इलेक्ट्रो होम्यापैथी सहित किसी अन्य गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति को मान्यता के योग्य नहीं पाया, इस आशय का आदेश भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 को जारी किया जो आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्यापैथी सहित गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एवं चिकित्सा के लिये दिशानिर्देश है, इसी दिशानिर्देश के अधीन इलेक्ट्रो होम्यापैथी की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य किये जा रहे हैं या यूँ कहिये कि इलेक्ट्रो होम्यापैथी के संचालन के लिये वर्तमान में यही कानून है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल के इस आदेश के परिचालन में विरोधाभास होने के कारण देश के विभिन्न न्याययालयों में सैकड़ों की संख्या में याचिकायें योजित हो गयी थीं जिसके कारण एक लम्बे अन्तराल तक इलेक्ट्रो होम्यापैथी में शून्यता की स्थिति बन गयी एवं हज़ारों चिकित्सालयों के विरुद्ध गैर कानूनी ढंग से कार्यवाही होने लगी, बड़ी–बड़ी संस्थायें जिनको कभी सोचा भी नहीं गया था वह भी बन्द हो गयीं, जिनमें से अधिकांश संस्थाओं में आज भी ताले में बन्द हैं, लम्बे अन्तराल के पश्चात भारत सरकार द्वारा एक स्पष्टिकरण आदेश जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि उसके आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 में अनुसंधान एवं विकास हेतु कोई रोक नहीं है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ के निर्देशानुसार भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 21 जून, 2011 को एक अति स्पष्ट आदेश जारी करते हुये सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 एवं 05 मई, 2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सा एवं अनुसंधान के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का निर्देश माना जाये।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के इस संदर्भित आदेश का अनुपालन करते हुये उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–6 ने भी दिनांक 04 जनवरी, 2012 को एक आदेश जारी करते हुये स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 एवं 05 मई, 2010 के अनुरुप कार्य करता है।

उत्तर प्रदेश शासन के इस आदेश के अनुपालन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलग से निर्देश भी जारी किये गये।

आज की स्थिति में प्रदेश का पंजीकृत तथा अधिकृत चिकित्सक अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति में निर्भीकता से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है।

नहीं होने देंगे किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उत्पीड़न प्रथम – इदरीसी (प्रथम पेज से आगे)

ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव,उ0प्र0 व अन्य जो लाम्बित था जिसमें चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से शासन/मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पंजीयन कराना था।

प्रदेश में लगभग सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके कारण बिना सोचे समझे दर्जनों की तादात में याचिकायें उच्च न्यायालय में योजित की गयीं, जिसमें बोर्ड की एक याचिका को छोड़कर शेष सभी याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयीं जिसमें एक केस ऐसा रिपोर्टेड हुआ जिसका दुष्प्रभाव अन्य राज्यों में भी पड़ा, इस प्रकार उत्तर प्रदेश की समस्या पूरे देश की समस्या बन गयी।

केन्द्र सरकार के 25 नवम्बर, 2003 के इसी आदेश के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिये गये जिसके परिणाम स्वरूप 11 जून, 2011 के आदेश का उदय हुआ जो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की रीढ़ है, जबकि अवमाननावाद संख्या 820/2002 में 28 में जनवरी, 2004 को माननीय न्यायालय द्वारा संस्थानों एवं चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में स्पश्ट निर्देश दिये गये, बोर्ड ने इसका स्वागत किया और उत्तर प्रदेश सरकार को पंजीयन के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शासन ने 4 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किया, जिसके अनुसार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास कार्य अधिकार पूर्वक करता है, प्रदेश में झोला छाप चिकित्सकों की जाँच की आड़ में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का उत्पीड़न न हो इस हेतु बोर्ड ने प्रभारी अधिकारी, ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय समस्त जपनद उत्तर प्रदे ा के माध्यम से समानान्तर जाँच के आदेश जरी किये हैं जिससे प्रभारी अधिकारी स्वयं अथवा जाँच दल गठित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की जाँच करें, उनके वैध रजिस्ट्रेशन, जनपदीय पजीयन तथा उनकी क्लीनिक में उपलब्ध औशधियों की भी भली–भाँति जाँच करें, यदि उनकी क्लीनिक में ऐसा कुछ प्राप्त हो जो उनके यहां बोर्ड द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरुप न हो, उसके लिये उन्हें कड़े निर्देश दें तथा वैध रजिस्ट्रेशन एवं जनपदीय पंजीयन न होने की स्थिति में उसे अद्यतन स्थिति में कराने के लिये चेतावनी दें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने प्रभारी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी समस्त जनपद को जाँच में सहयोग करने हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से जाँच में प्रभारी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सहयोग करने हेतु अनुरोध किया है जिसमें अनेक जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अधिनस्थ अधिकारियों को जाँच में सहयोग करने हेतु निर्देशित भी किया है, यह क्रम निरन्तर जारी है बोर्ड का संकल्प है कि किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक का झोला छाप चिकित्सक की आड में उत्पीड़न न हो, बोर्ड सभी पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सकों से भी यह अपेक्षा करता है कि वे अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त एवं दुरुस्त रखें, अपने रजिस्ट्रेशन एवं ज़िला पंजीयन अपडेट रखें, अपनी क्लीनिक में ऐसी कोई वस्तु न रखें जो आपत्तिजनक हो तथा **Drugs & Magic Remedies Act 1954** के उपबन्धों का अक्षर ः पालन करें जिससे उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा आरोप स्थापित न हो कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

49वें स्थापना दिवस के असर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिवरों का आयोजन किया

फतेहपुर– सतगुरू कबीर आश्रम कबीर नगर ब्लाक अमौली जिला– फतेहपुर में दिनांक 24–25 अप्रैल, 2023 को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर दो दिन का है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डॉ0 काउण्ट सीजर मैटी के चित्र में माल्यार्पण कर डॉ0 काउन्ट सीजर मैटी क्लीनिक के प्रभारी EH डॉ0 देवानन्द (सागर) ग्राम–अमौली, ज़िला– फतेहपुर में शुभारम्भ किया, इस अवसर पर EH डा0 देवानन्द ने कहा कि चिकित्सक जागरूकता अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने 11 जनवरी, 2023 को घोषणा किया था कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में निःशुल्क शिविरों के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार व प्रसार किया जाये इससे प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शेष समाचार पेज 3 पर

अमौली, फतेहपुर में ऊपर शिविर में आये हुये रोगी अपनी बारी की प्रतीक्षा में, नीचे डाक्टरों की टीम

49वें स्थापना दिवस पर सम्पन्न हुये अन्य जनपदों के कार्यक्रम व समाचार

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 49 वें स्थापना दिवस के अवसर पर रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी को माल्यार्पण करते हुये शुभकामना दी।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 49 वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने बोर्ड की ओ0 एस0 डी0 श्रीमती शाहीना इदरीसी को माल्यार्पण करते हुये। छाया गज़ट

रायबरेली— इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा लगातार मजबूती की तरफ बढ़ते हुए मान्यता को प्राप्त करें इस उद्देश्य पूर्ति के लिये हम सब निरंतर प्रयास शील हैं, सफलता हमें मिलेगी इसके लिए हम आश्वस्त भी हैं यह विचार आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टिट्यूट के प्राचार्य डॉ पी0 एन0 कुशवाहा छाजलापुर में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ के 49वॉ स्थापना दिवस के अवसर पर व्यक्त किए, डॉ कुशवाहा ने कहा कि 24 अप्रैल 1975 को ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन उत्तर प्रदेश को पूरे संवैधानिक अधिकारों के साथ स्थापना की गई थी, उक्त अवसर पर डॉ0 रमेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि उ0प्र0 सरकार ने मात्र एक ही संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विकास हेतु कार्य करने के लिए शासकीय आदेश दिया है, इस अवसर पर रमेश कुमार तिवारी, राजेन्द्र सिंह, रामपाल, रिंकू भाहू, सत्यपाल वर्मा, राम विशाल, सुनील कुमार, साधना मौर्य, श्रद्धा मौर्य, छोटे लाल, सन्त कुमार आदि उपस्थित रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ0 त्रिलोक सिंह ने की।

उन्नाव— जिला उन्नाव में बी0 ई0 एच0 एम0 यू0पी0 का स्थापना दिवस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा EH डॉ0 गौरव द्विवेदी जिला प्रभारी, उन्नाव की अध्यक्षता में मनाया गया।

वलीदपुर, मऊ— बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित डॉ0 अयाज अहमद व डॉ0 बी0एम0 चौहान।

शेष समाचार पेज 4 पर

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की यात्रा

48 वर्षों में हम कहां तक चले !

स्थापना के 48वें समारोह के दृष्य कैमरे की नज़र में कुछ इस प्रकार हैं

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैकि मेडिसिन, उ0प्र0 के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का संचालन करते हुये रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद

कुशवाहा इलेक्ट्रो होम्योपैथक स्टडी सेन्टर के प्रमुख डा0 राम अवतार कुशवाहा बोर्ड के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये। छाया गज़ट

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैकि मेडिसिन, उ0प्र0 के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोर्ड कार्यालय के केयर टेकर श्री शुभम गौतम छाया गज़ट

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैकि मेडिसिन, उ0प्र0 के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोर्ड के पूर्व रजिस्ट्रार डा0 संजय द्विवेदी अपने विचार व्यक्त करते हुये।

49वें स्थापना दिवस पर सम्पन्न कार्यक्रम व समाचार

सिरसागंज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर सिरसागंज, फिरोज़ाबाद के प्रमुख डा0 मो0 इसरार खान द्वारा स्टडी सेन्टर पर 49वॉ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया

सादाबाद– कस्बे की ए0 डी0 बी0 एस0 बी0 आई0 शाखा के निकट विवेक क्लीनिक पर बने ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय पर 49वॉ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ0 एसके पाल उपस्थित थे,

स्थापना दिवस मनाते हुये सादाबाद के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक

कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रवक्ता डॉ0 आर0 सी0 उपाध्याय ने की।

कार्यक्रम का शुभरम्भ डॉ0 मैटी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ, वक्ताओं ने कहा कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे, डॉ0 मैटी की चिकित्सा पद्धति से आज काफी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, यह चिकित्सा पद्धति कैंसर जैसी बिमारी का इलाज करने में काफी सहायक है।

इस अवसर पर जिला प्रभारी अधिकारी डॉ0 नेम सिंह बघेल, डॉ0 एम0 श्री, डॉ0 सुधा कुमारी, डॉ0 बहादुर अली, डॉ0 रवेन्द्र कुमार, डॉ0 प्रवीन कुमार उपाध्याय, डॉ0 श्याम बाबू आदि थे।

49वें स्थापना दिवस के अवसर पर डा0 शिव कुमार पाल को पार्ल्यापण कर स्वागत किया गया।

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

हमीरपुर– 24 अप्रैल आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक धमार्थ चिकित्सालय पटकाना हमीरपुर में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश लखनऊ का 49वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ डॉ0 मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ई0एच0 डॉ0 नरेन्द्र भूशण निगम ने कहा कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक पद्धति के विकास में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते जायेंगे केवल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश लखनऊ ही उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 6 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा रजिस्ट्रेशन एवं अनुसंधान विकास करने के लिए अधिकृत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिला प्रभारी अधिकारी EH डॉ0 गणेश सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का जिला पंजीयन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारी (जनपद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय) हमीरपुर द्वारा किया जाता है। सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपना जिला पंजीयन कराने के बाद चिकित्सा कार्य करे एवं वर्श पूरा होने के पहले समय से रिनीवल करा लें।

हाथरस– बी0 ई0 एच0 एम0 यू0पी0 का स्थापना दिवस कार्यक्रम जिला प्रभारी कार्यालय सादाबाद, हाथरस में मनाया गया। ई0एच0 डॉ0 नेम सिंह, ई0एच0 डॉ0 एम0 श्री0 और ई0एच0 डॉ0 एस0के0 पाल और अन्य उपस्थित थे।

इटावा– जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथी कार्यालय इटावा में बेहमप स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में ई0एच0 डॉ0 अखलाक अहमद सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

जौनपुर– बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर डॉ0 प्रमोद कुमार मौर्य के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जन जागरण अभियान चलाया गया जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर चर्चा की गई एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पुस्तिका बाटी गयी साथ में डॉ0 शैलेंद्र कुमार वर्मा जी डॉ0 संदीप यादव जी डॉ0 बच्चन यादव जी, डॉ0 संजय यादव जी, डॉ0 राजेश कुमार यादवजी डॉ0 विनय कुमार यादव जी आज चिकित्सकों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधि बताई गई।

मैनपुरी– आज दिनांक 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश का 49वॉ स्थापना दिवस समारोह जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय मैनपुरी में जिला प्रभारी डॉ0 जीना अ दि की अध्यक्षता में मनाया गया। जिला प्रभारी मैनपुरी व जिला प्रभारी फिरोजाबाद ने समारोह का आयोजन संयुक्त रूप से किया इस अवसर पर डॉ0 मो0 इसरार खान व डॉ0 जीना अ दि ने बोर्ड की स्थापना के लिए बोर्ड के चेयरमैन डॉ0 एम0एच0 इदरीसी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर बधाई और भुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दिया। बोर्ड की स्थापना आज के दिन 24 अप्रैल 1975 को डॉ0 एम0एच0 इदरीसी जी ने की जो आज प्रदेश में एक मात्र शासकीय आदेश प्राप्त बोर्ड है।

फिरोजाबाद– बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश लखनऊ का 49वॉ स्थापना दिवस समारोह बोर्ड के प्रवक्ता डॉ0 शिव कुमार पाल की अध्यक्षता में प्रेमनगर, डाक बंगला, बाई पास रोड फिरोजाबाद में मनाया गया, डॉ0 शिव कुमार पाल ने बताया कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश की स्थापना बोर्ड के चेयरमैन डॉ0 एम0 एच0 इदरीसी जी ने 24 अप्रैल सन 1975 में की थी। विगत 48 वर्षों में बोर्ड ने हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक मानव सेवा के लिए प्रशिक्षित किया तथा प्रशिक्षित करके सरकार की मंशा के अनुरूप पंजीकृत करके उनको अधिकार पूर्वक मानव सेवा के लिए तैयार किया जो आज पूरे प्रदेश व देश में अपना स्वरोजगार स्थापित करके मानव सेवा में तत्पर है, इन 48 वर्षों में बोर्ड ने उतार चढ़ाव भी देखे लेकिन डॉ0 एम0 एच0 इदरीसी जैसे महामानव ने बिना विचलित हुए एवं कानून का सहारा लेते हुए अपनी इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए कारवॉ को आगे बढ़ाते रहे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी डॉ0 इदरीसी जी कि जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम है, आगे आने वाले समय में सन् 2025 में इसी मंशा के साथ डॉ0 एम0एच0 इदरीसी जी के नेतृत्व में स्वर्ण जयंती समारोह भी पूरा प्रदेश और भारत देश मनायेगा, कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ0 हरिओम शर्मा, डॉ0 बनवारी शर्मा, मुकेश कुमार, हनुमंत कुमार, हेमंत प्रताप तथा हरिओम कठेरिया आदि थे।

जनपद अयोध्या में डा0 तुफ़ैल द्वारा 49वां स्थापना दिवस कुछ इस प्रकार आयेजित किया गया